राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार नवलगढ जिला झुंझुनू

प्रकरण संख्या : 04 / 2013

पीठासीन अधिकारी – कपिल कुमार (आर.टी.एस.)

अन्तर्गत धारा 90 क सपठित धारा 91 राजस्थान भू–राज. अधिनियम 1956 सरकार बनाम 1. श्री भूदाराम पुत्र जीताराम कौम माली निवासी नवलगढ तहसील नवलगढ जिला झुंझुनूं।

दिनांक: 24.02.2020

–: निर्णय :–

पत्रावली पेश हुई। संक्षेप में प्रकरण का विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का, नवलगढ कि रिपोर्ट अनुसार कस्बा नवलगढ स्थित भूमि खसरा 447 रकबा 2.83 है. किस्म बारानी प्रथम कि खातेदारी श्री भूदाराम पुत्र जीताराम कौम माली निवासी नवलगढ तहसील नवलगढ के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त भूमि में श्री भूदाराम पुत्र जीताराम कौम माली निवासी नवलगढ ने 660 वर्गमीटर भूमि पर आवासीय मकान मकान बनाकर कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में लिया जा रहा है जो कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ काम में ले लिया गया है। प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 क सपठित धारा 91 के तहत दर्ज कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। सम्यक तामिल पश्चात अप्रार्थीगण उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र पेश किया है।

पत्रावली में संलगन दस्तावेजो का अवलोकन किया गया पटवारी हल्का द्वारा वर्तमान में मौका रिपोर्ट चाही गई जिसमें पटवारी हल्का में बताया कि ख.न. 447 रकबा 2.83 है. किस्म बारानी प्रथम श्री भूदाराम पुत्र जीताराम कौम माली निवासी नवलगढ ने 660 वर्गमीटर भूमि पर आवासीय मकान मकान बनाकर कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में लिया जा रहा है।

पटवारी हल्का द्वारा प्राप्त रिपोर्ट, राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया जिसमे ग्राम नवलगढ स्थित भूमि खसरा 447 रकबा 2.83 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम कि खातेदारी श्री भूदाराम पुत्र जीताराम कौम माली निवासी नवलगढ तहसील नवलगढके नाम दर्ज रिकॉर्ड है जो नगर पालिका नवलगढ के पैराफेरी क्षेत्र के अधीन आति है अतः नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के पत्रांक प.3(313)नविवि / 3 / 2011 दिनांक 11.02.2020 की पालना में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 की तहसीलदार की शक्तियों का प्रत्यायोजन प्राधिकृत अधिकारियों को किया गया है। जिससे दिनांक 17.06.1999 के बाद के जिन प्रकरणों में मूल खातेदार कृषि भूमि के रूपान्तरण की कार्यवाही के लिये आवेदन नही करता है और मौके पर खातेदार ने या उसके हस्तान्तरिती / हस्तान्तरितियों ने भूमि का गैर कृषिक उपयोग कर लिया है, ऐसे प्रकरणों में प्राधिकृत अधिकारी धारा 91 सपठित धारा 90–क के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुये यथोचित ओदश पारित करेगा। अतः इस कार्यालय में विचाराधीन प्रकरण मु0न0 06 / 2013 रा0ले0 रे0 एक्ट 1956 की धारा 90ए सपठित 91 की पत्रावली नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के पत्रांक प.3 (313) नविवि / 3 / 2011 दिनांक 11.02.2020 की पालना करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी नगर पालिका नवलगढ को हस्तान्तरित की जाकर दर्ज रजीस्टर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 24.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार नवलगढ़